भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2921
17 मार्च, 2023को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चिकित्सा विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षुता

2921. श्री फ्रांसिस्को सर्दिन्हा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपाकरेंगे किः

(क) चीन में चिकित्सा की डिग्री के लिए नामांकित विद्यार्थीजिन्हें शेष पाठ्यक्रम ऑनलाइन मोड में पूरे करने थे उनकीप्रशिक्षुता को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान चिकित्सा अध्ययन के लिएविदेश गए तथा देश लौटे भारतीय छात्रों की संख्या कितनी है; और
(ग) सरकार की भारत में चिकित्सा शिक्षा के लिए सीटों कीगुणवत्ता और संख्या में वृद्धि करने हेतुयोजनाओं और नीतियों काब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ग): राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने एक योजना तैयार की है जिसके तहत भारतीय छात्र जो अपने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में थे (कोविड-19, रूस-यूक्रेन संघर्ष आदि के कारण जिन्हें अपना विदेशी चिकित्सा संस्थान छोड़ना पड़ा) और बाद में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और साथ ही जिन्हें दिनांक 30 जून, 2022 को या उससे पहले संबंधित संस्थान द्वारा पाठ्यक्रम/डिग्री पूरी करने का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया है, को फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा में बैठने की अनुमति है। इसके बाद, एफएमजी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, ऐसे विदेशी चिकित्सा स्नातकों को नैदानिक प्रशिक्षण की भरपाई करने के लिए दो वर्ष की अवधि के लिए अनिवार्य रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप (सीआरएमआई) से गुजरना आवश्यक है, जिसमें विदेशी संस्थान में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम के दौरान शारीरिक रूप से भाग नहीं लिया जा सकता था और साथ ही उन्हें भारतीय परिस्थितियों में चिकित्सा संबंधी परिपाटियों से परिचित कराया जा सके। विदेशी मेडिकल स्नातकों को दो वर्षों का सीआरएमआई पूरा करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन मिलता है।

विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, लगभग 1.2 मिलियन भारतीय छात्र शिक्षा के सभी विषयों सहित विदेशों में अध्ययन कर रहे हैं। तथापि, विदेश में मेडिकल कोर्स करने वाले भारतीय छात्रों का विशिष्ट डेटा उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, 2018 से 2022 तक विभिन्न विषयों में अध्ययन/शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या निम्नानुसार है: -

वर्ष	2018	2019	2020	2021	2022
संख्या	5,18,015	5,86,337	2,59,655	4,44,553	7,50,365

सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि की है और बाद में एमबीबीएस सीटों में वृद्धि की है। मेडिकल कॉलेजों में 71% की वृद्धि हुई है इनकी संख्या वर्ष 2014 से पहले 387 थी जो अब 660 हो गई है। इसके अलावा, एमबीबीएस सीटों में 97% की वृद्धि हुई है इनकी संख्या 2014 से पहले 51,348 थी जो अब 101,043 हो गई है और पीजी सीटों में 110% की वृद्धि हुई है इनकी संख्या 2014 से पहले 31,185 थी जो अब 65,335हो गई है।

देश में मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों/कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं-

i. जिला/रेफरल अस्पताल का उन्नयन करके नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना संबंधी केंद्र प्रायोजित योजना, जिसके तहत अनुमोदित 157 में से 97नए मेडिकल कॉलेज पहले से ही कार्यशील हैं।

ii. एमबीबीएस और पीजी सीटों को बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण/उन्नयन संबंधी केंद्र प्रायोजित योजना।इन योजनाओं के तहत देश के 77 कॉलेजों में 4677 एमबीबीएस सीटों, 72 कॉलेजों में चरण-I में 4058 पीजी सीटों और चरण-II में 60 कॉलेजों में 3858 पीजी सीटों की वृद्धि के लिए सहायता प्रदान की गई है।

iii. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) योजना के "सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉकों के निर्माण द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन" के तहत, कुल 75 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 60 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

iv.नए एम्स की स्थापना संबंधी केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत, 22 एम्स को मंजूरी दी गई है। इनमें से 19 में स्नातक पाठयक्रम शुरू हो चुके हैं।

v. संकाय, स्टाफ, बिस्तरों की संख्या और अन्य अवसंरचना की आवश्यकता के संदर्भ में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए मानदंडों में छूट देना।

vi. संकाय की कमी को पूरा करने के लिए संकाय के रूप में नियुक्ति हेतु डीएनबी अर्हता को मान्यता प्रदान की गई है।

vii. मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों/डीन/प्रिंसिपल/निदेशक के पदों पर नियुक्ति/विस्तार/पुन: नियोजन के लिए आयु सीमा को 70 वर्ष तक बढ़ाना।

*****